रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 1990/ज्येष्ठ 23, 1912
No. 324] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 1990/JYAISTHA 23, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

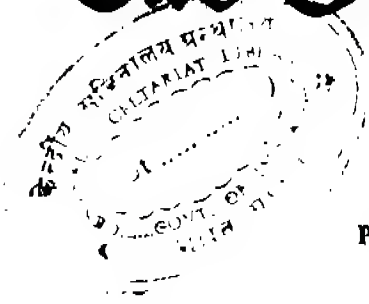

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 1990

का. आ. 478(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 17-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) संशोधन स्कीम, 1990 है।

(2) इसमें इसके पश्चात् अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय यह स्कीम 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2. साधारण बीमा (विकास कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त स्कीम" कहा गया है) के पैरा 3 में,—

(क) खंड (1क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1क) अंकन तारीख" से 1 अप्रैल, 1990 और प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष की पहली अप्रैल अभिप्रेत है;

(ख) खंड (2) में "अनुसूची क" शब्द और अक्षर के स्थान पर "अनुसूची ग" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) खंड 7 में,—

(i) "तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) अंत में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु पैरा 11, 11क और 13 के प्रयोजनों के लिए खर्च से किसी कार्य निष्पादन वर्ष के दौरान विकास अधिकारी को संदत्त सकल परिलब्धियां अभिप्रेत होंगी" ;

(घ) खंड (14 क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(14 क) "कार्य निष्पादन वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारम्भ हो कर सुसंगत अंकन तारीख से ठीक पूर्व आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण:—इस स्कीम के प्रयोजनों से लिए 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक के कार्य निष्पादन वर्ष को कार्य निष्पादन वर्ष 1988 का उत्तरवर्ती वर्ष समझा जाएगा ;

(ङ) खंड 17 के उपखंड (ग) और उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) 1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाले कार्य निष्पादन वर्ष से खर्च अनुपात के संबंध में नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट और उसके स्तंभ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विकास अधिकारी" पर उपयुक्त अनुपात :—

सारणी

निम्नलिखित स्थान पर कार्यरत विकास अधिकारी	खर्च अनुमान	
(1)	(2)	
	पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू	पैरा 11, 11क और 13 से भिन्न पैराओं के संबंध में लागू
(i)		(ii)
(क) नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है।	8 प्रतिशत	7 प्रतिशत
(ख) नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से कम है।	9 प्रतिशत	8 प्रतिशत
(ग) अन्य केन्द्र	11 प्रतिशत	10 प्रतिशत

परन्तु 1-4-1989 से 31-3-1990 तक, 1-4-90 से 31-3-1991 और 1-4-1991 से 31-3-1992 तक के कार्य निष्पादन वर्षों के लिए 1 प्रतिशत की छूट सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं में अनुज्ञात की जाएगी ।

परन्तु यह और कि किसी कठिनाई वाले क्षेत्र में तैनात किसी विकास अधिकारी के लिए, अध्यक्ष ऐसे क्षेत्र से उपाप्त प्रिमियम की रकम और संरचना को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध करके सारणी में विनिर्दिष्ट खर्च अनुपात की अनुबंधित सीमाओं में 1% की और छूट दे सकेगा ।

परन्तु यह और भी कि पैरा 11, 11क और 13 के संबंध में लागू अनुबंधित सीमाओं में ऐसे विकास अधिकारी की बाबत और 1% की छूट दी जा सकेगी जिसने 55 वर्ष की आयु और कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

स्पष्टीकरण—1 : जनसंख्या से भारत सरकार की नवीनतम जनगणना रिपोर्ट से अभिनिश्चित नगरपालिका सीमाओं के भीतर किसी नगर की जनसंख्या अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण—2.—"कठनाई वाला क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे निगम ने उस क्षेत्र में कारबार प्राप्त करने में आने वाली विशेष कठनाईयों को ध्यान में रखते हुए उस रूप में विनिर्दिष्ट किया है ।

3. उक्त स्कीम में पैरा 7क 7ख और 7ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7क वेतनमपन, निधतन की पद्धति और बकाया का संदाय ।

(1) 1 अप्रैल, 1989 के प्रत्येक विकास अधिकारी का वेतनमान भत्ते अनुसूची "ग" में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी ।

(2) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी का मूल वेतन जो 1 अप्रैल, 1989 को सेवा रत था या जिसे उसके पश्चात् नियुक्त किया गया 1 अप्रैल, 1989 से या नियुक्ति की तारीख से जो भी बाद में अनुसूची "ग" की मद 2 के अनुसार नियत किया जाएगा।.

(3) प्रत्येक विकास अधिकारी को, जिसका मूल वेतन अनुसूची "ग" की मद 2 के अनुसार नियत किया गया है । अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए या नियुक्ति की तारीख से, जो भी बाद में हो, अनुसूची "ग" के अधीन सकल परिलब्धियों और सकनीकी अर्हताओं के लिए संदेय भत्ता तथा अनुसूची "क" के अधीन संदत्त की गई राशि के बीच अन्तर भविष्य निधि में विकास अधिकारी का अनिवार्य भत्ता काट कर संदत्त किया जाएगा।

7 ख आध्यापूर्ण अनुतोष :—

पैरा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विकास अधिकारी को, जो 1 जनवरी,

1988 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के दौरान किसी भी समय सेवारत था ऐसी सेवावधि के लिए साम्यापूर्ण अनुतोष संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "साम्यापूर्ण अनुतोष" से क्रमशः अनुसूची "ग" और अनुसूची "क" के अधीन संगणित संकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ते के बीच का अन्तर अभिप्रेत है परन्तु यह अनुग्रह पूर्वक संदाय भविष्य निधि और उपदान जैसी भी स्थिति हो परिणामिक समायोजन के पश्चात् निकाली जाएगी।

7ग बकाया और साम्यापूर्ण अनुतोष का खर्च में समामेलन

पैरा 7क और 7ख के अधीन अवधारित बकाया और साम्यापूर्ण अनुतोष को खर्च की अनुबंधित सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए उस संबंधित कार्य निष्पादन वर्ष के लिए, जिससे वह संबंधित है, विकास अधिकारी के खर्च में जोड़ दिया जाएगा और अतिशेष को 1990-91 और 1991-92 के खर्च में ऐसे अनुपात में जोड़ दिया जाएगा जिसका वह इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख के 90 दिन के भीतर चयन करे।

4. उक्त स्कीम के पैरा 11 में—

(1) उपपैरा (4) के परन्तुक में "सुसंगत अंकन वर्ष की 1 जनवरी" शब्दों और अंक के स्थान पर "सुसंगत अंकन तारीख" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) सारणी में "सुसंगत अंकन वर्ष की 1 जनवरी" शब्दों और अंक के स्थान पर "सुसंगत अंकन तारीख" शब्द रखे जाएंगे

5. उक्त स्कीम में पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित पैरे अन्तःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:—

"11क. पैरा 11 के अधीन वेतन में कमी के कारण कम किए गए मूल वेतन का भावी प्रत्यावर्तन ।

(1) किसी ऐसे विकास अधिकारी को जिसका मूल वेतन पैरा 11 के अधीन वेतन में कमी के कारण कम कर दिया गया था सुसंगत अंकन तारीख से उसका प्रत्यावर्तन अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि प्रत्यावर्तन के लिए विचार लिए लाई गई वेतन में कमी पर ध्यान देने के पश्चात् कार्य निष्पादन वर्ष से ठीक पूर्व उस का खर्च अनुपात अनुबंधित सीमाओं के अन्तर्गत है ।

परन्तु किसी एक अंकन तारीख को दो से अधिक कमियों को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्यावर्तन के पश्चात्, किसी विकास अधिकारी का मूल वेतन उसे लागू वेतनमान की अधिकतम सीमाओं से अधिक नहीं होगा ।

(3) उपपैरा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे श्रेणी-II विकास अधिकारी के मूल वेतन का, जो श्रेणी-1 से वेतन में कमी के पश्चात् ऐसे वेतनमान में रखा गया था वेतन कमी के प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप श्रेणी-1 के वेतनमान के न्यूनतम पर नियतन अनुज्ञात किया जाएगा और उसके पश्चात् वह किसी भूतपूर्व वेतन कमी के प्रत्यावर्तन का हकदार नहीं होगा।"

6. उक्त स्कीम में, पैरा 12 के उपपैरा (4) के खंड (क) और (ख) में "सैद्धांतिक रूप से" शब्दों के स्थान पर "पैरा 11, 11क और 13 के प्रयोजनों के लिए सैद्धान्तिक रूप से" शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त स्कीम में, पैरा 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"13. वेतन वृद्धियां:

(1) ऐसे प्रत्येक विकास अधिकारी को, जो 1 अप्रैल, 1990 को सेवारत था और जिस ने अप्रैल, 1990 में या उससे पूर्व 12 मास की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी, 1 अप्रैल, 1990 से, उसके वेतन में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी।

(2) 1 अप्रैल, 1991 से विकास अधिकारी को अंकन तारीख से एक वेतन वृद्धि दी जाएगी परन्तु तब जब उसने यथास्थिति, अपनी नियुक्ति की तारीख से या अन्तिम अंकन तारीख से 12 मास की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो:

परन्तु किसी ऐसे विकास अधिकारी को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी जो पैरा 11 के निबंधनों के अनुसार सुसंगत अंकन तारीख से वेतन में कमी के दायित्वाधीन है।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजनों के लिए "12 मास की निरंतर सेवा" से कर्तव्यारूढ रहने की ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 12 मास के, जिसमें असाधारण छुट्टी की अवधि सम्मिलित नहीं है बराबर हो।

8. उक्त स्कीम के पैरा 15 में "अंकन वर्ष 1988" से शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. उक्त स्कीम में, पैरा 15 के परन्तुक में, "अंकन वर्ष 1988 से" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

10. उक्त स्कीम में, पैरा 15 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"15क. संक्रमणकालीन उपबन्ध

इस स्कीम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 1 जनवरी, 1989 से 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए उसके कार्यनिष्पादन के लिए किसी विकास अधिकारी को, यथास्थिति, पैरा 14 और 15 के अधीन अनुज्ञेय खर्च पर आधारित वृद्धि प्रोत्साहन और लाभ प्रोत्साहन

(क) कार्य निष्पादन वर्ष 1988 के लिए ऐसे प्रोत्साहन का 1/4; या

(ख) कार्य निष्पादन वर्ष 1989 के लिए ऐसे प्रोत्साहन का 1/4, जो भी अधिक हो विकास अधिकारी को संदत्त किया जाएगा ।

11. उक्त स्कीम के पैरा 16 में, "8-1/3 प्रतिशत" अंकों और शब्द के स्थान पर "10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

12. उक्त स्कीम के पैरा 17 में,—

(1) उप पैरा (2) का लोप किया जाएगा

(2) उपपैरा (3) में, "(2)" कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "(1)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

13. उक्त स्कीम में, पैरा 20 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"21. लिपिकीय काडर में आमेलन

(1) ऐसे किसी विकास अधिकारी को, जिसने 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करली है, उसके अनुरोध पर सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए निगम के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जा सकेगा, परन्तु तब जब रिक्ति उपलब्ध हो और उसे उस पद के लिए योग्य पाया जाए।

(2) उप पैरा (1) के अधीन सहायक के रूप में किसी विकास अधिकारी की नियुक्ति हो जाने पर उसका वेतन सहायक के वेतनमान में ऐसे क्रम पर नियत किया जाएगा जिससे उसकी विकास अधिकारी के रूप में कुल सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए फायदों का संरक्षण हो सके।

परन्तु यदि सहायक के वेतनमान की अधिकतम सीमा पर, जिसमें वृद्धिरोध वेतन वृद्धियां भी सम्मिलित हैं, मूल वेतन नियत किए जाने के पश्चात् भी कुल सकल परिलब्धियों और तकनीकी अर्हताओं के लिए फायदों का संरक्षण हो जाता है तो शेष एकम वैयक्तिक भत्ते के रूप में दी जाएगी जिसे भविष्य में मूल वेतन या भत्तों या दोनों में होने वाली वृद्धियों में आमेलित किया जाएगा।

14. उक्त स्कीम में, अनुसूची "ख" के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची-ग

(पैरा 3, 7क, 7ख, 11, 11क, 13, 14, 15, 16 और 17 देखिए)

I. वेतन मान (मूल वेतन):

1. विकास अधिकारी श्रेणी-I

1430-80-1750-90-840-120-3880 रु.

2. विकास अधिकारी श्रेणी II

1050-60-1410 रु.

II. मूल वेतन का नियतन

सारणी

क्रम सं.	विकास अधिकारी	विकास अधिकारी
	वर्तमान मूल वेतन	मूल वेतन
(1)	(2)	(3)
	रु.	रु.
1.	720	1430
2.	780	1510
3.	840	1590
4.	900	1670
5.	960	1750
6.	1020	1840
7.	1080	1960
8.	1150	2080
9.	1220	2200
10.	1290	2320
11.	1360	2440
12.	1430	2560
13.	1500	2680
14	1580	2800
15.	1660	2920
16.	1740	3040
17.	1820	3160
18.	1900	3250
19.	1980	3400
20.	2060	3520
21.	2140	3640
22.	2220	3760
23.	2300	3880
24.	2380	3880

विकास अधिकारी श्रेणी-II

वर्तमान वेतन	मूल वेतन
रु.	रु.
550	1050
580	1110
610	1170
640	1230
670	1290
700	1350
730	1410

टिप्पण: उपरोक्त सारणी में "वर्तमान मूल वेतन" से "अनुसूची क" के अनुसार लागू मूल वेतन अभिप्रेत है।

III. मंहगाई भत्ता.

(1) विकास अधिकारियों को लागू मंहगाई भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप से अवधारित किया जाएगा.—

सूचकांक : औद्योगिक कर्मकारों का अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष. 1960=100

मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण: मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक 4 प्वाइंटों की वृद्धि या कमी के लिए तिमाही आधार पर किया जाएगा।

मंहगाई भत्ते की दर . 600 प्वाइंटों से ऊपर तिमाही औसत में प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ते की निम्नलिखित दरों से संगणना की जाएगी।

मूल वेतन	प्रत्येक 4 प्वाइंटों के लिए मंहगाई भत्ते की दर
(i) 1650 रु० तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत
(ii) 1651 से 2850 रु. तक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 2850 रु. और 1650 रु. के बीच अन्तर का 0.55 प्रतिशत।
(iii) 2851 रु. और उससे अधिक	1650 रु. का 0.67 प्रतिशत घन 2825 रु. और 1650 रु. के बीच के अन्तर का 0.55 प्रतिशत घन 2850 रु. से अधिक मूल वेतन का 0.33 प्रतिशत।

(2) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक के तिमाही औसत (जिसे इसमें इसके पश्चात् "चालू औसत अंक" कहा गया है) में 600 प्वाइंटों से ऊपर होने पर 600—604—608—612 और इसी अनुक्रम में प्रत्येक चार प्वाइंटों की वृद्धि होने पर संदेय मंहगाई भत्ते का अर्ध्वगामी पुनरीक्षण होगा, और यदि चालू औसत अंक उपयुक्त अनुक्रम में उस सूचकांक से नीचे आ जाता है जिसके संदर्भ में पिछली पूर्ववर्ती तिमाही के लिए मंहगाई भत्ता दिया गया है तो संदेय मंहगाई भत्ते का अधोगामी पुनरीक्षण होगा। अधोगामी पुनरीक्षण होने पर, संदेय मंहगाई भत्ता उस दशा में चालू औसत अंकों के तत्समान होगा, यदि ऐसा चालू औसत अंक उपयुक्त अनुक्रम में कोई अंक है और यदि ऐसा चालू औसत अंक, उपर्युक्त अनुक्रम में कोई अंक नहीं है तो संदेय मंहगाई भत्ता उपर्युक्त अनुक्रम में उस अंक के तत्समान होगा जो चालू औसत अंक से ठीक पहले का है।

(3) इस प्रयोजन के लिए, तिमाही से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत होगी।

(4) भारतीय श्रम पत्रिका या भारत के राजपत्र, जो भी प्रकाशन पहले उपलब्ध हो, में प्रकाशित अन्तिम सूचकांक वह सूचकांक होगा जिसे मंहगाई भत्ते के परिकलन के लिए लिया जाएगा।

(5) किसी विशिष्ट तिमाही के लिए चालू औसत अंक में परिवर्तनों के तत्समान मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण उस तिमाही की समाप्ति के बाद केवल दूसरे उत्तरवर्ती मास से प्रभावी होगा।

IV. मकान किराया भत्ता.

(1) विकास अधिकारियों को मकान किराया भत्ता 3000 रुपये तक के मूल वेतन पर 12.1/2 प्रतिशत की दर से देय होगा और 3000 रु. से ऊपर के मूल वेतन पर 10 प्रतिशत की दर से, जो प्रति मास 425 रु. से अधिक न हो, देय होगा।

(2) विकास अधिकारी, जिन्हें निगम या कंपनी द्वारा निवास स्थान आवंटित किया गया है, ऐसे स्थान के लिए ऐसी समुचित अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेंगे जिसका विनिश्चय निगम समय-समय पर करेगा और वे किसी मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

V. नगर प्रतिकारात्मक भत्ता .

विकास अधिकारियों को संदेय नगर प्रतिकारात्मक भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा:—

तैनाती का स्थान	दर
(क) (i) वह नगर जिनकी जनसंख्या 12 लाख से अधिक है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नौएडा, पणजी और मारमूगांव, 1 जनवरी, 1988 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 163 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(ii) मारमूगांव और पणजी से भिन्न गोवा राज्य के किसी नगर में, 19 मई 1988 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 166 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(iii) गुड़गांव, बाशी और गांधीनगर में 12 मई, 1989 से	मूल वेतन का 7 प्रतिशत किन्तु 165 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(ख) (i) वे नगर जिनकी जनसंख्या 5 लाख और उससे अधिक है किन्तु 12 लाख से अधिक नहीं है, चंडीगढ़ मौहाली, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर, 1 जनवरी, 1988 से	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 110 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(ii) पंचकुला नगर में 12 मई, 1989 से	मूल वेतन का 4 प्रतिशत किन्तु 110 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं

टिप्पण. इस पैरा के प्रयोजन के लिए जनसंख्या के आंकड़े वे होंगे जो 1981 की जनगणना में लिए गए हैं।

VI. पर्वतीय स्थान भत्ता.

विकास अधिकारियों को देय पर्वतीय स्थान भत्ते का मापमान निम्नानुसार होगा :—

तैनाती का स्थान	दर
(i) औसत समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर	मूल वेतन के 7 प्रतिशत की दर पर किन्तु 150 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।
(ii) औसत समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे ऊपर किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर अवस्थित स्थानों पर, सरकार और ऐसे स्थानों पर जिन्हें केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रूप में "पर्वतीय स्थान" घोषित किया है।	मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर पर 25 रु. प्रतिमास से अधिक नहीं।

VII. तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता :—

(1) किसी पुष्ट किए गए कर्मचारी को जो सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित किसी परीक्षा में अर्हित होता है या जिसने उसमें अर्हता प्राप्त की है, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से या 1 जनवरी

1988 से, जो भी बाद में हो, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित भत्ता दिया जाएगा :—

सारणी

परीक्षा	अर्हता भत्ता प्रतिमास
भारतीय बीमा संस्थान या चार्टर्ड बीमा संस्थान :	
(i) लाइसेंसिएट	40 रुपए.
(ii) एसोसिएटशिप पूरी करने पर	120 रुपए
(iii) फैलोशिप पूरी करने पर	200 रुपए
बीमांकन संस्थान:	
(iv) एक विषय उत्तीर्ण करने पर	40 रुपए.
चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत और संकम लेखाकार संस्थान :	
(v) इन्टरमीडिएट परीक्षा पूरी करने पर	80 रुपए
(vi) अंतिम समूह क या समूह ख पूरा करने पर	150 रुपए
(vii) अंतिम समूह क और समूह ख पूरा करने पर	200 रुपए।

परन्तु यह कि उसे एक से अधिक अर्हता भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(2) तकनीकी अर्हताओं के लिए भत्ता दिए जाने से संबंधित कर्मचारी की ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) जहां किसी कर्मचारी को उक्त परीक्षाओं में से किसी परीक्षा में अर्हित करने के लिए पहले ही कोई अग्रिम वेतन वृद्धि या कोई अन्य आवर्ती वित्तीय फायदा दिया गया है, वहां पहले से प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर करते हुए, अर्हता भत्ते की रकम में यथोचित रूप से कमी कर दी जाएगी या वह संदत्त नहीं होगा ।

[फा. सं. 3(ii)/बीमा-II/90]
एस. कानन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1989 से भारतीय साधारण बीमा निगम और समनुषंगी कंपनियों के विकास अधिकारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार विकास अधिकारियों की स्कीम को 1 अप्रैल, 1989 से संशोधित किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से भारतीय साधारण बीमा निगम या उसकी किसी समनुषंगी कंपनी के किसी विकास अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

टिप्पण: मूल स्कीम अधिसूचना सं. का.आ. 327(अ) तारीख 29-4-1976 के अधीन प्रकाशित की गई थी और बाद में उसका संशोधन अधिसूचना सं. का आ. 761 (अ) तारीख 1-12-1976, का. आ. 2444 तारीख 6-8-1977, का.आ. 1045 तारीख 15-4-1978, का.आ. 1050 तारीख 15-4-1978, का. आ. 414(अ) तारीख 28-6-1978, का. आ. 3430 तारीख 16-11-1978, का. आ. 80(अ) तारीख 13-2-1987 और का.आ. 781(अ) तारीख 22-8-1988 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMC AFFAIFS

(INSURANCE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 1990

S.O. 478 (E) :- In exercise of the powers conferred by Section 17A of the General Insurance Business (Nationalisation)Act, 1972 (57 of 1972), the Central Government hereby frames the following Scheme further to amend the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and other Conditions of Service of Development Staff) Amendment Scheme, 1990.

(2) Save as otherwise provided hereinafter, this Scheme shall be deemed to have come into force on the Ist day of April, 1989.

2. In the General Insurance (Rationalisation of Pay Scales and Other Conditions of Service of Development Staff) Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the "said Scheme"), in paragraph 3,—

(a) for clause (1A), the following shall be substituted, namely:-

"(1A) "appraisal date" means the 1st day of April, 1990 and 1st day of every subsequent year;

(b) in clause (2), for the word and letter "Schedule A", the word and letter " Schedule C" shall be substituted ;

(c) in clause (7),—

(i) the words "allowance for technical qualifications," shall be omitted ;

(ii) at the end, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that for the purposes of paragraphs 11, 11A 13, cast shall mean gross emoluments paid to the Development Officer during a performance year.";

(d) for clause (14A), the following shall be substituted, namely :—

(14A) "Performance year" means the period commencing on the 1st day of April and ending

on 31st day of March of the next year immediately preceding the relevant appraisal date.

Explanation : For the purposes of this Scheme, year from 1st day of April, 1989 to 31st day of March, 1990 shall be deemed to be in succession to the performance year 1988.;

(e) for sub-clause (c) of clause (17) and proviso therunder, the following shall be substituted, namely :-

"(c) in relation to cast ratio from the performance year commencing on the 1st day of April, 1989, the ratio specified in column (2) of the table below and incurred on a Development officer specified in the corresponding entry in column (1) thereof:—

TABLE

Development officer operationg at (1)	COST RATIO (2)	
	Applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13 (i)	Applicable in relation to paragraphs other than 11, 11A and 13 (ii)
(A) Cities with population exceeding 12 lacs	8%	7%
(B) Cities with population of 5 lacs and above, but not exceeding 12 lacs.	9%	8%
(C) Other centres.	11%	10%

Provided that for the performance years 1.4.1989 to 31.3.1990, 1.4.1990 to 31.3.1991 and 1.4.1991 to 31.3.1992 relaxation of one per cent shall be allowed in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table.

Provided further that for a Development Officer posted in an hardship area, the Chairman may, after taking into account the amount and composition of premium procured from such area, by order and for reasons to be recorded in writing, grant further relaxation of one per cent in the stipulated limits of cost ratios specified in the Table.

Provided also that the Stipulated limits applicable in relation to paragraphs 11, 11A and 13 shall be further relaxed by one per-cent in respect of a Development Officer who has attained the age of 55 years and has completed minimum 15 years of Service.

Explanation-1 :—Population shall mean the population of a city within its municipal limits as certained from the latest Census Report of the Government of India.

Explanation-2:—"Hardship area" shall mean an area specified as such by the Corporation regard to the special difficulties faced in procuring business in that area.

3. In the said Scheme, the paragraphs 7A, 7B, and 7C, the following shall be substituted, namely

'7A. Scales of pay, method of fixation and payment of arrears;

(1) On and from the 1st day of April, 1989 the basic pay and allowances of every Development Officer shall be as specified in Schedule 'C'.

(2) The basic pay of every Development Officer who was in service on 1st day of April, 1989 or was appointed thereafter shall be fixed in accordance with item II of Schedule 'C' with effect from the 1st day of April, 1989 or the date of appointment, whichever is later.

(3) Every Development Officer whose basic pay is fixed in accordance with item II of Schedule (C) shall be paid for the period commencing on and from the 1st day of April 1989 or the date of his appointment, Whichever is later, the difference of gross emoluments and allowance for technical qualifications payable under Schedule 'C' and that paid under Schedule 'A' after deducting the Development Officer's compulsory contribution to provident Fund.

7B. Equitable Relief:

Notwithstanding anything contained in paragraph 7A the Development Officer who was in service at any time during the period from the 1st day of January, 1988 to 31st day of March, 1989 shall be paid equitable relief for the period of such service.

Explanation : For the purpose of this paragraph, the term "Equitable Relief" means the difference between the aggregate of gross emoluments and

allowance for technical qualification computed under Schedule 'C' and Schedule 'A' respectively with consequent adjustment of ex-gratia payment provident fund and gratuity as the case may be.

7C. Absorption of Arrears and Equitable Relief in cost

The arrears and equitable relief determined under paragraphs 7A and 7B shall be added to the cost of Development Officer for the respective performance year to which they relate subject to the stipulated limits of cost and the balance shall be added to his cost for the performance years 1990-91 and 1991-92 in such proportion as he may choose within 90 days of the date of publication of this Scheme."

4. In the said Scheme, in paragraph 11,—

(1) in the proviso to sub-paragraph (4), for the figure and words "1st January of the relevant appraisal year", the words "relevant appraisal date" shall be substituted;

(2) In the Table, for the figure and words, "1st January of Relevant Appraisal Year" the words "Relevant Appraisal Date" shall be substituted.

5. In the said Scheme, after paragraph 11, the following paragraphs shall be inserted, namely :—

"11A. Prospective Restoration of basic pay reduced due to decrements under paragraph 11.

(1) A Development Officer whose basic pay had been reduced due to decrement/(s) under paragraph 11 may be allowed restoration of such decrement/(s) from a relevant appraisal date if his cost ratio for the immediately preceding performance year after taking into account the decrement/(s) being considered for restoration is within the stipulated limits :

Provided that not more than two decrements shall be restored on any one appraisal date.

(2) On restoration the basic pay of a Development Officer shall not exceed the maximum of the scale of pay applicable to him.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2), the basic pay of Development Officer Grade II who was placed in such scale after decrements from Grade I shall be allowed to be fixed at the minimum of the scale of Grade I as a result of restoration of decrements and thereafter he shall not be entitled to restoration of any past decrement/(s)."

6. In the said Scheme, in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (4) of paragraph 12, for the words "shall notionally be", the words "shall for purposes of paragraphs 11, 11A and 13 be notionally" shall be substituted.

7. In the said Scheme, for paragraph 13, the following shall be substituted, namely :—

"13. INCREMENTS :

(1) Every Developmet Officer who was in service on the 1st day of April, 1990 and had completed twelve months of continuous service in the month of April 1990 or earlier, shall be granted an increment in his scale of pay from the 1st day of April, 1990.

(2) A Development Officer with effect from the 1st day of April, 1991, shall be granted on the appraisal date an increment provided that he has completed tweleve months of continuous service from the date of his appointment or from the last appraisal date, as the case may be :

Provided that no increment shall be granted to a Development Officer who is liable to decrement from the relevant appraisal date in terms of paragraph 11.

Explanation : For the purpose of this paragraph, "twelve months of continuous service" means a period of duty equal to twelve months excluding the period of extra-ordinary leave.

8. In the said Scheme, in paragraph 14, the words and figures, "with effect from Appraisal Year 1988," shall be omitted.

9. In the said Scheme, in proviso to paragraph 15, the words and figures, "with effect from the Appraisal Year 1988" shall be omitted.

10. In the said Scheme, after paragraph 15, the following paragraph shall be added, namely—

"15A. Transitional Provisions

Notwithstanding anything contained in this Scheme, the Cost based growth incentive and profit incentive admissible under paragraphs 14

and 15, as the case may be, to a Development Officer for his performance for the period from the 1st day of January, 1989 to 31st day of March, 1989 shall be either

(a) 1/4th of such incentive for the performance year 1988; or

(b) 1/4th of such incentive for the performance year 1989",

paid to the Development Officer, whichever is higher.

11. In paragraph 16 of the said Scheme, for the figures and words "8-1/3 per cent" the figures and words "10 per cent" shall be substituted.

12. In the said Scheme, in paragraph 17,—

(1) sub-paragraph (2) shall be omitted;

(2) in sub-paragraph (2), for the brackets and figures "(2) the brackets and figures "(1)" shall be substituted.

13. In the said Scheme, after paragraph 20, the following shall be inserted, namely :—

"21. Absorption in Clerical Cadre :—

(1) A Development Officer who has attained age of 55 years and has completed at least 25 years of service may at this request be considered for the appointment to the post of Assistant, by the Chairman of the Corporation, subject to availability of vacancy and of his being found suitable for the post.

(2) On appointment of a Development Officer as an Assistant under sub-paragraph (1), his salary shall be fixed at the stage in the scale of Assistant which protects the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualification drawn as a Development Officer.

Provided that if, even after fixation of basic salary at the maximum of the scale of Assistant including stagnation increments, the aggregate of gross emoluments and allowance for technical qualification is not protected, the balance amount shall be granted as personal allowance to be absorbed in future increases in basic salary or allowance, or both.

14. In the said Scheme, after Schedule 'B', the following Schedule shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE—C

(See Paragraphs 3, 7A, 7B, 11, 11A, 13, 14, 15, 16 and 17).

I. Scales of Pay (Basic Pay) :

1. Development Officer Grade-I 1430-80-1750-90-1840-120-3880.

2. Development Officer Grade-II 1050-60-1410.

II. Fixation of Basic Pay

TABLE

Stage No.	Development Officer Grade-I		Development Officer Grade-II	
	Existing Basic Pay	Basic Pay	Existing Basic Pay	Basic Pay
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
1.	720	1430	550	1050
2.	780	1510	580	1110
3.	840	1590	610	1170
4.	900	1670	640	1230
5.	960	1750	670	1290
6.	1020	1840	700	1350
7.	1080	1960	730	1410
8.	1150	2080		
9.	1220	1220		
10.	1290	2320		
11.	1360	2440		
12.	1430	2560		
13.	1500	2680		
14.	1580	2800		
15.	1660	2920		
16.	1740	3040		
17.	1820	3160		
18.	1900	3280		
19.	1980	3400		
20.	2060	3520		
21.	2140	3640		
22.	2220	3760		
23.	2300	3880		
24.	2380	3880		

NOTE : The term "Existing Basic Pay" in the above Table shall mean the basic pay as applicable in accordance with Schedule 'A'.

III. Dearness Allowance:

(1) The scale of dearness allowance applicable to the Development Officers shall be determined as under :—

Index : All India Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers.

Base Year : 1960=100

Revision of Dearness Allowance:—Revision of dearness allowance may be made on quarterly basis for every 4 point rise or fall.

Rate of Dearness Allowance —For every 4 points in the quarterly average over 600 points, the dearness allowance shall be calculated at the following rates :—

Basic Pay	Rate of D.A. for every 4 points
(i) Upto Rs. 1650	0.67% of basic pay;
(ii) Rs. 1651 to Rs. 2850	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of difference between Rs. 2850 and Rs. 1650;
(iii) Rs. 2851 and above	0.67% of Rs. 1650 plus 0.55% of difference between Rs. 2850 and Rs. 1650 plus 0.33% of basic pay in excess of Rs. 2850.

(2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable for very four points rise in the quarterly average (herinafter referred to as the "current average figures") of the All India Consumer Price Index above 600 points in the sequence 600-604-608-612 and so on; and there shall be downward revision of the dearness allowance payable if the current average falls by four points below the index figure in the above sequence with reference to which the dearness allowance has been paid for the last, preceding quarter. On the downward revision the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the above sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the above sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the above sequence.

(3) For this purpose, quarter shall mean a period of three months ending on the last day of March, June, September or December.

(4) The final index figures as published in the Indian Labour Journal or the Gazette of India, whichever publication is avaliable earlier shall be the index figure which shall be taken for the purpose of calculation of dearness allowance.

(5) The revision in dearness allowance Corresponding to the changes in the current average figure for any particular quarter shall take effect only from the second succeeding month following the end of the quarter.

IV. House Rent Allowance:

(1) The House Rent Allowance to Development Officers shall be payable at the rate of 1/2 per cent of the basic pay upto Rs. 3000 and at the rate of 10 per cent of the basic pay which is in excess of Rs. 3000/-, subject to a maximum of Rs. 425/- per month.

(2) Development Officers who are allotted residential accommodation by the Corporation or Company shall pay for such accommodation appropriate licence fee as may be decided by the Corporation from time to time and shall not be entitled to any house rent allowance.

V. City Compensatory Allowance:

The scale of City Compensatory Allowance payable to Development Officers shall be as under :—

	Place of Posting	Rate
(a)	(i) Cities with population exceeding 12 lacs, Faridabad, Ghaziabad, Nodia, Panaji and Marmugao on and from 1st day of January, 1988—	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165 per month;
	(ii) Any City in the State of Goa other than Panaji and Marmugao on and from the 19th day of May, 1988	7% of basic pay subject to a maximum of Rs. 165 per month;
	(iii) Cities of Gurgaon, Vashi and Gandhinagar on and from the 12th day of 1989—	7% basic of pay subject to a maximum of Rs. 165 per month;

1	2	3
(b)	(i) Cities with population of 5 lacs and above but not exceeding 12 lacs, State capitals with population not exceeding 12 lacs, Chandigarh, Mohali Pondicherry and Port Blair on and from the 1st day of January, 1988	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 110 per month;
	(ii) City of Panchkula on and from 12th day of May, 1989	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 110 per month.

NOTE : For the purpose of this paragraph, the population figures shall be those in the 1981 Census Report.

VI. Hill Station Allowance. :

The scale of Hill Station Allowance payable to Development Officers shall be as follows:—

Place of Posting	Rate
(i) At places situated at a height of 1500 metres and over above mean sea level.	7% of the basic pay subject to maximum of Rs. 150 per month;
(ii) At places situated at a height of 1000 metres and over but less than 1500 metres above mean seal level, at Mercara and at places which are specifically declared as "Hill Stations" by Central/ State Governments for their employees.	5% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 125 per month.

VII. Allowance for Technical Qualifications:

(1) A confirmed Development Officer who qualifies or has qualified in an examination mentioned in column (1) of the Table below shall be paid with effect from the date of publication of the results of the examination, or 1st day of January, 1988, whichever is later, the allowance for Technical Qualifications mentioned in column (2) of the Table.

TABLE

Examination	Qualification Allowance per month
(1)	(2)
	Rs.
Insurance Institute of India or Chartered Insurance Institute :	
(i) Licentiate	40;
(ii) Completion of Associateship	120;
(iii) Completion of Fellowship	200;
Institute of Actuaries:	
(iv) On passing each subject	40;
Institute of Chartered Accountants or Institute of Cost and Works Accountants :	
(v) Completion of Intermediate Examination	80;
(vi) Completion of Final Group A or Group B	150;
(vii) Completion of Final Group and A Group B	200;

Provided that ot more than one qualification allowance shall be permissible to him.

(2) The grant of allowance for technical qualifications shall not affect the seniority of the Development Officer concerned.

(3) Where the Development Officer has already been given an advance increment or other recrurring monetary benefit for having qualified in any of the said examinations, the amount of qualification allowance shall be suitably reduced or be not admissible depending the quantum of benefit already received.

[F. No. 2.(11) /Ins. II/90]

S. KANNAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has accorded approval to revise the scales of pay and conditioned of service in respect of the Development Officers of the General Insurance Corporation of India

and Subsidiary Companies with effect from 1st April, 1989. The Scheme of the Development Officers is being amended accordingly with effect from 1st April, 1989.

It is certified that no Development Officer of the General Insurance Corporation of India or its Subsidiary Companies is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

NOTE : The Principal scheme was published vide Notification No. S.O. 327(E) dated 29-4-1976 subsequently amended by Notification No. S.O. 761(E) dated 1-12-1976, S.O. 2444 dated 6-8-1977, S.O. 1045 dated 15-4-1978, S.O. 1050 dated 15-4-1978 S.O. 414(E) dated 28-6-1987, S.O. 3430 dated 16-11-1978, S.O. 80(E) dated 13-2-1987 and O.S. 781 (E) dated 22-8-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi 110054, 1990.